फा. सं. 1/1/2016/ई-III(ए)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित और वित्तपोषित/नियंत्रित अर्ध-सरकारी संगठनों, स्वायत्त संगठनों एवं सांविधिक निकायों आदि के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के संबंध में दिशा-निर्देश।

केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित और वित्तपोषित/नियंत्रित अर्ध-सरकारी संगठनों, स्वायत्त संगठनों, सांविधिक निकायों आदि में कार्यरत कर्मचारी केन्द्र सरकार के कर्मचारी नहीं हैं और इसीलिए, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों के भाग के तौर पर केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए लाभ ऐसे स्वायत्त संगठनों में कार्यरत कर्मचारियों पर सीधे लागू नहीं होते। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को यथा-प्रदत्त लाभों की, ऐसे स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों के संबंध में प्रयोज्यता और उससे उत्पन्न अतिरिक्त वित्तीय भार के सहभाजन सहित ऐसी प्रयोज्यता की विधि और उसे शासित करने वाली शर्तों पर केन्द्र सरकार का विशिष्ट अनुमोदन अपेक्षित है। स्वायत्त संगठनों से अपने कार्य इस तरह व्यवस्थित करने की उम्मीद की जाती है कि अतिरिक्त वित्तीय भार को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु केन्द्र सरकार पर उनकी निर्भरता न्यूनतम हो और इस तरह स्वायत्त संगठनों से उम्मीद की जाती है कि वे वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बने ताकि केन्द्रीय राजकोष पर कोई अतिरिक्त भार न पड़े।

2. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में दिनांक 25.07.2016 को यथा-अधिसूचित केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के अनुसार संशोधित वेतनमान, केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित और वित्तपोषित/नियंत्रित अर्ध-सरकारी संगठनों, स्वायत्त संगठनों, सांविधिक निकायों आदि जहां परिलब्धि संरचना की पद्धति अर्थात् वेतनमान एवं भत्ते, विशेषत: मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और परिवहन भत्ता ठीक वैसी ही है जैसी कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के मामले में है, के कर्मचारियों को प्रदान किए जाने के मुद्दे पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 की अनुसूची के भाग-क में यथावर्णित वेतन मैट्रिक्स के अनुसार संशोधित वेतनमान और उक्त नियमावली में यथावर्णित वेतन निर्धारण का सिद्धांत निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन ऐसे संगठनों के कर्मचारियों के लिए लागू किया जाए:

(i) इन संगठनों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें, विशेषत: कार्य के घंटों, समयोपरि भत्ते के भुगतान आदि से संबंधित शर्तें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के मामले में हैं।

(ii) संशोधित वेतन संरचना उन कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य होगी जो वर्तमान नियमों के अनुसार इसका चयन करेंगे।

(iii) भविष्य निधि, अंशदायी भविष्य निधि अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो भी लागू हो, की मद में कटौती, कर्मचारी के संशोधित वेतन संरचना का चयन करने की तारीख से संशोधित वेतन के आधार पर की जानी होगी।

3. केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 की अनुसूची के भाग-ख एवं भाग-ग में वर्णित संशोधित वेतनमान, स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों के लिए स्वत: लागू नहीं होंगे। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामलों पर विचार करेगा कि क्या ये संशोधित वेतनमान कार्यात्मक महत्व, भर्ती अर्हताओं और लागू पूर्व-संशोधित वेतनमानों के आधार पर स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों को दिए जाने उचित हैं। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा ऐसी किसी जांच के आधार पर उपयुक्त प्रस्ताव, यदि उचित हों, उनके एकीकृत वित्त प्रभाग के माध्यम से वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग को प्रस्तुत किए जाएंगे।

4. ऐसे वर्गों के कर्मचारियों जिनकी परिलब्धि संरचना पद्धति अर्थात् वेतनमान और भत्ते तथा सेवा शर्तें केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के जैसी नहीं हैं, के मामले में संबंधित मंत्रालय/विभाग में प्रत्येक स्वायत्त निकाय के संबंध में अलग से 'अधिकारियों के समूह' का गठन किया जाए। संबंधित मंत्रालय/विभाग के वित्त सलाहकार इस समूह में वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह समूह संबंधित संगठनों के स्टाफ प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त विचारों, यदि कोई हों, को ध्यान में रखते हुए वेतनमानों आदि के संशोधन के प्रस्तावों की जांच करेगा। यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि इन स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों को दिए जाने के लिए प्रस्तावित लाभों का अंतिम पैकेज, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संगत वर्गों के लिए स्वीकार्य पैकेज से अधिक लाभप्रद न हो। 'अधिकारियों के समूह' द्वारा संस्तुत अंतिम पैकेज के लिए वित्त मंत्रालय की सहमति आवश्यक होगी।

5. जैसा कि उल्लेख किया गया है कि संशोधित वेतनमानों के कार्यान्वयन से उत्पन्न अतिरिक्त वित्तीय भार के संबंध में निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखा जाएगा:-

(i) ऐसे स्वायत्त संगठनों के संबंध में जो अपने परिचालन के लिए अथवा वेतन लागत को पूरा करने के लिए सरकारी अनुदानों पर निर्भर नहीं रहे हैं और ऐसे स्वायत्त संगठन जो अतिरिक्त वित्तीय भार को अपने स्वयं के आंतरिक संसाधनों से पूरा करने की स्थिति में हैं, अतिरिक्त वित्तीय भार सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता लिए बिना संबंधित स्वायत्त संगठनों द्वारा वहन किया जाएगा। ऐसे मामलों में केन्द्र सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।

(ii) अन्य स्वायत्त संगठनों के संबंध में जो संशोधित वेतनमान के कार्यान्वयन के कारण अतिरिक्त वित्तीय भार को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं, संबंधित स्वायत्त संगठन यह उल्लेख करते हुए कि कितनी अतिरिक्त लागत आंतरिक रूप से पूरी की जा सकती है, कितनी कमी पूरी की जानी है और उस कमी के क्या कारण हैं, अपने प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के वित्त सलाहकार के समक्ष रखेंगे। संशोधित वेतनमानों के कार्यान्वयन पर सहमति देते समय वित्त सलाहकार यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी सहायता की मात्रा न्यूनतम रहे और सरकारी सहायता किसी भी स्थिति में अतिरिक्त वित्तीय भार के 70% से अधिक न हो।

(iii) संसद के किसी विशिष्ट अधिनियम के तहत स्थापित स्वायत्त संगठनों जो अतिरिक्त वित्तीय भार को पूरा करने के लिए पर्याप्त आंतरिक संसाधन पैदा नहीं करते हैं, के संबंध में सरकारी सहायता की मात्रा अतिरिक्त भार के 70% से अधिक हो सकती है बशर्ते कि संबंधित वित्त सलाहकार की राय में संगठनों के कार्य के स्वरूप और वित्त की स्थिति को देखते हुए ऐसा किया जाना जरूरी हो।

अमरनाथ सिंह

(iv) बकाया राशि के भुगतान के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 14 में यथानिर्धारित विधि का पालन किया जाएगा और यह भुगतान समग्र वित्तीय भार तथा सरकारी कोष पर कोई परिहार्य भार डाले बिना लागत वहन करने की संबंधित स्वायत्त संगठन की क्षमता के अधीन होगा, बशर्ते कि उपर्युक्त शर्तें पूरी कर ली गई हों।

6. केन्द्र सरकार ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित विभिन्न भत्तों के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है और इसीलिए, अगले आदेशों तक इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि संशोधित वेतनमान अंगीकार कर लिए गए हैं, स्वायत्त संगठनों में विद्यमान भत्ते वर्तमान नियमों और शर्तों के अनुसार स्वीकार्य रहेंगे।

अमरनाथ सिंह

(अमर नाथ सिंह)
निदेशक

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, मानक डाक सूची के अनुसार

सभी वित्त सलाहकार (नाम से)